मेरठ विकास प्राधिकरण

सिविल लाइन्स, विकास भवन, मेरठ - 250001 (उत्तर प्रदेश)
वेबसाइट: www.mdameerut.org.in

श्री अखिलेश यादव जी
माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश

गंगानगर पॉकेट जे

में निर्माणाधीन अल्प आय वर्ग
4 मंजिला फ्लैटस
तथा

डा० राम मनोहर लोहियानगर

योजना के "जहाँ हैं, जैसा है
के आधार पर श्रेणी के भुखण्ड के
लाटरी पद्धति से आबंटन हेतु
पंजीकरण पुस्तिका

पंजीकरण दिनांक
18-08-2015
से
18-09-2015
तक

मेरठ विकास प्राधिकरण

सिविल लाइन्स, विकास भवन, मेरठ-25000 (उत्तर प्रदेश)

विशेष आकर्षण-

- योजनायें राष्ट्रीय राज्य मार्ग–119, (मेरठ–बिजनौर रोड़) तथा राष्ट्रीय राज्य मार्ग 235 (मेरठ–बुलन्दशहर) पर स्थित।
- योजना का लाभ दिनांक दिनांक 18–08–2015 से 18–09–2015 तक।
- आवंटन प्रक्रिया का अत्यन्त सरलीकरण।

स्थल सुविधायें-

- भव्य गेट, सुरक्षित बाउन्डी वाल व परिसर के तीनों ओर सड़क की सुविधा, आस–पास हरित क्षेत्र
- सड़क, सीवर, डेनेज, विद्युत एवं जलापूर्ति आदि सुविधाओं से युक्त
- पेड़–पौधों से सुसज्जित हरियाली की सुविधायुक्त
- सुव्यवस्थित वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण युक्त

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ - 250003 (उ.प्र.)

गंगानगर पॉकेट जे में निर्माणाधीन अल्प आय वर्ग श्रेणी के 4 मंजिला फ्लैटस् तथा डा0 राम मनोहर लोहियानगर योजना के ''जहाँ है, जैसा है'' के आधार पर दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भूखण्ड के लाटरी पद्धति से आवंटन हेतु पंजीकरण पुस्तिका

1. **योजना का नाम** –
   गंगा नगर आवासीय योजना
   डा0 राम मनोहर लोहियानगर
2. **योजना का कोड** –
   गंगानगर योजना – 07
   डा0 राम मनोहर लोहियागनर – 08
3. **पॉकेट** –
   गंगानगर पॉकेट जे–
   डा0 राम मनोहर लोहियानगर पॉकेट ''एम''

4.00 **ग्राह्यता (पात्रता)**–

4.10 आवेदक भारत का नागरिक हो।

4.20 आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक व्यस्क अर्थात् आवेदक की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।

4.30 आवेदक या उसके परिवार (पति, पत्नी एवम् अवस्यक बच्चों के पास) के पास मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ, आवास एवम् विकास परिषद, मेरठ, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना अन्य भवन/भूखण्ड नहीं हो तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं हो तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण, आवास एवम् विकास परिषद, इम्प्रूमेन्ट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं होने चाहिये।

4.40 जिन व्यक्तियों ने मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पहले से पंजीकरण कराया हुआ है तथा अभी आवंटन नहीं हुआ है ऐसे व्यक्ति भी निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा कराकर आवेदन कर सकते है किन्तु उन्हें इस योजना के अन्तर्गत अन्य लोगों के समकक्ष ही माना जायेगा। ऐसे आवेदकों को अपने पूर्व पंजीकरण व योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख आवेदन पत्र में करना होगा।

4.50 यदि कोई व्यक्ति (व्यक्ति विशेष) अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का एक से ज्यादा योजना में आवंटन हो जाता है तो उस व्यक्ति को, आवंटित सम्पत्ति में से मात्र एक सम्पत्ति को छोड़कर शेष सम्पत्तियों में जमा की गयी धनराशि बिना किसी कटौती के वापस कर दी जायेगी।

4.60 दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भवन/भूखण्ड के अवांटन हेतु इच्छुक आवेदकों (जिनके नाम से आवेदन किया जा रहा है) के परिवार की वार्षिक आय सीमा 1,00,000/– (एक लाख रूपये मात्र) तथा अल्प आय वर्ग श्रेणी के भवन/भूखण्ड के आवंटन हेतु (जिनके नाम से आवेदन किया जा रहा है) के परिवार की वार्षिक आय सीमा 1,00,000/– (एक लाख रूपये मात्र) से अधिक तथा अधिकतम 2,00,000/– (दो लाख) तक होनी चाहिये, का सक्षम अधिकारी (तहसील) द्वारा जारी आय का प्रमाण पत्र पर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा जिन आवेदकों द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जायेगा उनका पंजीकरण आवेदन पत्र लाटरी ड्रा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

5.00 **आवेदन कैसे करें**–

5.10 आवेदन–पत्र केवल निर्धारित प्रारूप–पत्र जो विवरण पुस्तिका में संलग्न है, पर रु रूपये 10/– का शपथ पत्र के साथ में ही लिया जायेगा। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को भवन/फ्लैट/भूखण्ड के

अनुमानित मूल्य का 10 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित व समाज के विकलांग) के आवेदकों को फ्लैट के अनुमानित मूल्य का 5 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक, अथवा पे–आर्डर जो कि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के नाम देय हो अथवा पंजीकरण धनाराशि की जमा की रसीद संलग्न न होने पर, आवेदन पत्र अपूर्ण होने अथवा आवेदन पत्र निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जायेगा। मेरठ विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.mdameerut.org.in से प्राप्त की गयी विवरण पुस्तिका व पंजीकरण आवेदन पत्र प्राप्त करने वाले आवेदकों को, पंजीकरण आवेदन पत्र उपयोग में लाने पर रूपये 200/– प्रति विवरण पुस्तिका व निर्धारित पंजीकरण धनराशि बैंक की विज्ञापित शाखाओं में पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ निर्धारित अवधि में जमा करनी होगी।

5.20 आवेदकों को अपना आवेदन पत्र पूर्ण कर अपेक्षित पंजीकरण धनराशि सहित विज्ञापित बैंक में जमा करना होगा जिस बैंक से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।

5.30 आवेदन एक से अधिक अथवा संयुक्त नामों से नहीं किया जा सकता है, किन्तु पति–पत्नी द्वारा संयुक्त नाम से आवेदन करने की छूट होगी। पंजीकरण धनराशि का विवरण संलग्नक एक में उल्लिखित है। आवेदन पत्र सहित विवरण पुस्तिकायें रूपये 200/– के भुगतान पर **एच.डी.एफ.सी. बैंक**: (1) 171/1, सूर्यांश प्लाजा, गढ़ रोड, मेरठ मो0 नं0 09358214343 (2) 381ए वैस्टर्न कचहरी रोड, मेरठ (3) शील पैलेस दिल्ली रोड, मेरठ (4) 6, रॉयल प्लाजा, रूड़की रोड, पल्लवपुरम, मेरठ (5) जी0 एफ0 'ओ' एण्ड 'एच' नई दिल्ली–11, डी0सी0एम0 बिल्डिंग बारहखम्बा रोड नई दिल्ली–110001 (6) डी–118, सेक्टर 26, नोएडा (7) आर0डी0सी0 सेन्टर, राजनगर, गाजियाबाद–201002 व मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बुलन्द शहर, हापुड़, मोदीनगर, मुरादाबाद, लखनऊ, बागपत शामली व बड़ौत की अधिकृत शाखाओं से विक्रय की जायेगी जिनके सम्बन्ध में शाखा प्रबन्धक, मेरठ श्री भूपेश कुमार, मो0 नं0 09358214343 से जानकारी प्राप्त की जा सकती है

इलाहाबाद बैंक: (1) मेरठ विकास प्राधिकरण परिसर शाखा, मेरठ (0121–2647695) (2) तेजगढ़ी मुख्य शाखा, मेरठ (121–4760447) (3) नोएडा स्थित सेक्टर 10 की शाखा (0120–2533831) (4) गाजियाबाद स्थित नवयुग मार्केट शाखा (0120–2797759) (5) बी–3 अशोका निकेतन, आनन्द विहार, नई दिल्ली शाखा (0120–22161418) (6) 17, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली शाखा (011–23743694)।

आई.डी.बी.आई. बैंक: (1) नील कमल बिल्डिंग, एवेस क्रॉसिंग, शिवाजी रोड, मेरठ, फोन 0121–2651325, 7351082777, 9012096096 (2) प्रथम तल, 126/7, आर.टी.ओ. रोड, निकट सेन्टरल मार्केट, शास्त्रीनगर मेरठ, फोन 0121–4019728 (3) सत गुरू प्लाजा, 43 पंजाबी पुरा, दिल्ली रोड, मेरठ, फोन 0121–4008804 (4) 5/2, भोलागंज, दिल्ली रोड, हापुड़, गाजियाबाद, फोन: 0122–2306587/ 88/89/90 (5) अपोजिट जे.पी. जनता इन्टर कालेज, निकट मलका पार्क, सिविल लाईनस काले आम, बुलन्दशहर, फोन 05732–281732/281733 (6) अपोजिट मोदीनगर इन्टर कलेज, जी.टी. रोड, मोदीनगर, गाजियबाद, फोन 01232–234167 (7) 203/48, सदर बाजार, नियर डिस्ट्रीक्ट कोर्ट, मुजफ्फरनगर, फोन 0131–2433386 (8) ऐश्वर्य बिल्डिंग, नियर शक्ति चौक, सिविल लाइन, बिजनौर, फोन 01342–260353 (9) महालक्ष्मी प्लाजा वीसी–2, सेक्टर–3, आयकर भवन के पास, वैशाली, गाजियाबाद, फोन 0120–4118195 (10) 1, लोहियानगर, गाजियाबाद, फोन 0120–2700355 (11) 2/3, अमर एनक्लेव ईस्ट माडल टाउन, जी.टी. रोड, गाजियाबाद, फोन 0120–2700830 (12) ओल्ड मोनिका थियेटर, मेरठ रोड, बागपत, फोन 121–2222749 (13) सी–78, सुदेश प्लाजा, आर. डी. सी, राजनगर, गाजियाबाद, फोन 0120– 2755409

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक: (1) राजलोक, 4 सिविल लाईन्स बाउन्ड्री रोड, निकट बी.एस.एन.एल. टेलीफोन एक्सचेंज, मेरठ (2) बी.डी.एस. कॉम्पलैक्स, सम्राट एन्क्लेव, गढ़ रोड, मेरठ (3) 612, अपोजिट रानी मिल, दिल्ली रोड, मेरठ (4) सी–2, तिरूपति गार्डन, मवाना रोड, मेरठ (5) 43, सिवपुरी, अपोजिट इवेस हॉस्पीटल, हापुड़ रोड, मेरठ (6) बी–113, पल्लवपुरम, फेस–1, मेरठ (7) 90, बेगम ब्रिज रोड, मेरठ (8) ऑफिस ब्लॉक, ए–134 व बी–136, प्रथम तल, आवास विकास कॉमर्सियल कॉम्पलैक्स, बागपत रोड मेरठ (9) 216, कॉम्पैक्स नं0 15, जैन नगर, मेरठ व मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मवाना, बुलन्दशहर, हापुड़, मोदीनगर, मुरादाबाद, बागपत, शामली, बड़ौत (10) आर–1/88, राजनगर, गाजियाबाद (11) के–1 सीनियर माल, सेक्टर–18, नोएडा (12) एफ–11, प्रीत विहार, नई दिल्ली–110092 (13) बी–130, विवेक विहार फेस–1, दिल्ली (14) एस.सी.ओ 18 व 19 हुडा शॉपिंग सेन्टर, सेक्टर 14 मार्केट कॉम्पलेक्स, गुड़गांव–122001 की अधिकृत शाखाओं से

विक्रय की जायेगी। जिनके सम्बन्ध में प्रबन्धक मेरठ श्री जावेद चौधरी (फोन : 0120–4016437) से जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा आवेदन पत्र पंजीकरण धनराशि सहीत उपरोक्त बैंक की उपरोक्त शाखाओं में जमा किये जायेंगे।

6.00 आवंटन प्रक्रिया–

6.10 योजना के ड्रा के समय उपस्थित होने के इच्छुक आवेदकों की उपस्थिति में मैनुअल प्रक्रिया द्वारा ड्रा निकालकर फ्लैट/भूखण्ड का आवंटन किया जायेगा। लाटरी की तिथि एवं स्थान की सूचना व्यक्ति विशेष को अलग से नहीं दी जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी। किसी भी आवेदक द्वारा किसी फ्लैट/भूखण्ड विशेष हेतु भी क्लेम स्वीकार नहीं होगा।

6.20 प्राधिकरण किसी ऐसी धनराशि पर ब्याज के लिये उत्तर दायी नहीं होगा जो बैंक अथवा जमा कर्ता की त्रुटि से प्राधिकरण के खाते में जमा नहीं हुई हो।

6.30 यदि किसी व्यक्ति द्वारा पंजीकरण आवेदन पत्र भरते समय तथ्यों को छुपाया जाता है तो उसका पंजीकरण आवेदन पत्र/आवंटन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है और जमा की गयी समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

6.40 प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्लैट में निहित भूमि का पट्टा विलेख तथा स्ट्रक्चर मूल्य का विक्रय विलेख आवंटी द्वारा कराना अनिवार्य होगा। डा0 राम मनोहर लोहियानगर योजना के भूखण्डों का आवंटन फ्रीहोल्ड आधार पर है जिसका पूर्ण भुगतान उपरान्त विक्रय विलेख आवंटी द्वारा कराना अनिवार्य होगा।

6.50 आवंटन स्वीकार करने के उपरान्त सम्पत्ति की गुणवत्ता आदि के सम्बन्ध में कोई विवाद/आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

6.60 आवेदक द्वारा किसी कारणवश सम्पत्ति के लाटरी ड्रा से आवंटन पश्चात् आवंटन धनराशि जमा करने से पूर्व, आवंटन स्वीकार न कर जमा धनराशि की माँग किये जाने पर जमा आवेदन धनराशि 20 प्रतिशत कटौती के उपरान्त वापस की जायेगी।

6.70 आवंटी को फ्लैट/भूखण्ड के आवासीय प्रयोग की अनुमति होगी अन्य किसी उपयोग की नहीं। आवासीय प्रयोग के अतिरिक्त, यदि आवंटी द्वारा फ्लैट का अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जाता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।

6.80 प्रत्येक आवेदनकर्ता को प्राधिकरण फ्लैट/भूखण्ड देने के लिये बाध्य नहीं है। यदि किसी आवेदक को वांछित फ्लैट/भूखण्ड नहीं मिल पाता है, तो वह इसके लिये प्राधिकरण से किसी प्रकार का मुआवजा/क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

7.00 आरक्षण कोटा–

शासन द्वारा वर्तमान में आरक्षण निम्नानुसार निर्धारित किया गया है–

क्र0सं.	वर्ग	प्रतिशत	कोड
1.	अनुसूचित जाति	21	02
2.	अनुसूचित जन जाति	02	03
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	04
4.	विधायक,	05	08
	विधान परिषद सदस्य, सांसद		
	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी		07
5.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो		
	रक्षा कर्मी	05	05
	सरकारी कर्मी		06
6.	उ0प्र0 आवास एवम् विकास परिषद, विकास प्राधिकरण जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी		
	उ0प्र0 विकास प्राधिकरण कर्मचारी		09
	उ0प्र0 नगर निगम कर्मचारी	02	11
	उ0प्र0 जल संस्थान कर्मचारी		12
	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद		13
7.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	03	14

7.10 विकलांग आवेदकों को प्रत्येक श्रेणी के कोटे में 3 प्रतिशत विकलांग श्रेणी के भवन/फ्लैटस के लॉटरी ड्रा में सर्व प्रथम 01 प्रतिशत आरक्षण प्राथमिकता के आधार दृष्टिबाधित (Visually impaired) आवेदकों को प्रदान किया जायेगा। यदि विकलांग कोटे में एक मात्र एक ही फ्लैट/भूखण्ड आता है तो वह प्राथमिकता पर दृष्टिबाधित आवेदक को यथावश्यकता लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया

जायेगा तथा समाज के वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्येक श्रेणी के कोटे में 10 प्रतिशत हॉरिजेन्टल आरक्षण की सुविधा दी जायेगी। अतः आवेदकों को विकलांग होने का प्रमाण पत्र तथा विरिष्ठ नागरिकों को आयु प्रमाण पत्र भी संलग्न करना तथा आवेदन पत्र में आरक्षण कोटा भरना आवश्यक है। सामान्य श्रेणी के आवेदक कोटा कोड 15 भरें।

7.20 यदि आवेदक एक से अधिक आरक्षण श्रेणी में आता है तो कृपया वह स्वयम् निश्चित कर लें कि वे कौन सी एक आरक्षण श्रेणी का लाभ पाना चाहते है, उस आरक्षित श्रेणी का ही उल्लेख करें। यदि आरक्षित श्रेणी के आवेदक समुचित संख्या में उपलब्ध नहीं होते है तो आवंटन समान्य श्रेणी के आवेदकों को कर दिया जायेगा।

7.30 आवेदक, जिस आरक्षण श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करेगा, उसके प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8 भुगतान प्रक्रिया–

विज्ञापित योजनाओं के भवनों/फ्लैटस् /भूखण्डों की श्रेणीवार उपलब्धता, अनुमानित मूल्य, आवेदन राशि का विवरण पुस्तिका में संलग्न तालिका में दिया गया है। भवन/फ्लैटस् /भूखण्डों का आवंटन योजना के अन्तर्गत लाटरी पद्धति से किया जायेगा। आवेदकों को आवंटन के पश्चात् आवंटन धनराशि के रूप में 10 प्रतिशत धनराशि, आवंटन पत्र जारी दिनांक से एक माह के अन्दर तथा शेष धनराशि विवरण तालिका के अनुसार जमा करनी होगी। विलम्ब से आवंटन धनराशि/किश्तें समय से जमा न करने पर दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के लिये 16 प्रतिशत वार्षिक दर तथा अल्प आय वर्ग श्रेणी के लिये 18 प्रतिशत वार्षिक पर से अतिरिक्त चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय होगा। किन्तु आवंटन धनराशि एक माह अवधि व्यतीत होने के पश्चात् अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड ब्याज देया होगा। किन्तु आवंटन धनराशि एक माह अवधि व्यतीत होने के पश्चात् अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड ब्याज के साथ आवंटन धनराशि अदा न करने पर /2 या 2 से अधिक किश्तें डिफाल्ट करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

8.20 गंगानगर योजना के फ्लैटस् का मूल्य अनुमानित है। फ्लैट पूर्ण होने पर वास्विक मूल्यांकन किया जायेगा। फ्लैट के वास्विक मूल्यांकन के उपरान्त अन्तिम मूल्य से आवंटी को अवगत कराया जायेगा।

8.30 तालिका में उल्लिखित गंगानगर योजना में अल्प आय वर्ग श्रेणी कुल 12 फ्लैटस जिनकी तलवाईज अनुमानित कीमत अलग–अलग (भूतल रूपये 1105600/– प्रथम तल रूपये 961900/– तथा द्वितीय तल रूपये 961900/– व तृतीय तल रूपये 961900/–) है। इन भवनों के प्राप्त आवेदन पत्रों की लाटरी एक साथ की जायेगी जिन्हें वास्तविक कीमत अनुसार आवंटन पत्र जारी किये जायेंगे। भवनों का स्थल पर निर्माण यथा स्थिति रहेगा शेष निर्माण आवंटियों को स्वयं कराना होगा जिसके लिये किसी आवंटी का किसी प्रकार का कोई क्लेम स्वीकार नहीं होगा।

8.40 विज्ञापित सम्पत्तियों के सापेक्ष प्राप्त पंजीकरण आवेदन पत्रों का श्रेणीवार सभी तलों के फ्लैटों एवं भवनों/भूखण्डों का लाटरी ड्रा किया जायेगा। लाट्री ड्रा के माध्यम से घोषित परिणाम के अन्तर्गत फ्लैट जिस तल एवं भवन/भूखण्ड जिस स्थिति में भी होगा, प्रत्येक फ्लैट व उसका तल व्य दर्शाते हुए तथा भवन/भूखण्ड के पॉकेट व मूल्य दर्शाते हुए आवंटन पत्र जारी किये जायेंगे जो तदनुसार देय होगी तथा आवेदकों को स्वीकार होगा।

8.50 देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने की दशा में धनराशि के प्राधिकरण के खाते में अन्तरण की तिथि को ही आधार माना जायेगा।

9.00 पैनल ब्याज–

विज्ञापित फ्लैटस्/भवनों/भूखण्डों के सापेक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण को देय धनराशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं किया जाता है तो दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के लिये विलम्ब अवधि के लिये 18 प्रतिशत वार्षिक दर से अतिरिक्त चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय होगा। किन्तु आवंटन धनराशि एक माह अवधि व्यतीत होने के पश्चात् अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड ब्याज के साथ आवंटन धनराशि अदा न करने पर /2या 2 से अधिक किश्तें डिफाल्ट करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

10.00 कब्जा–

10.10 गंगानगर योजना में आवंटी को फ्लैसट् के निर्माण एवं उसके सम्मुख विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नियमानुसार फ्लैटस में निहित भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत लीजरेन्ट की धनराशि, फ्लैसट मूल्य का पूर्ण भुगतान तथा पानी सीवर मद में देय धनराशि, रोड कटिंग चार्ज व देय दस्तावेज शुल्क जमा कराते हुए नियमुनसार देय स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर आवंटी के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्लैट में निहित भूमि का पट्टा विलेख तथा स्ट्रक्चर मूल्य का विक्रय विलेख निष्पादित कराये जाने के पश्चात् कब्जा दिया जायेगा। विलेख एवं निबन्धन

का समस्त व्यय आवेदनकर्ता (आवंटी) को वहन करना होगा।

डा0 राम मनोहर लोहिया नगर योजना में आवंटी को दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भूखण्ड का कब्जा सौंपे जाने की तिथि तक की किश्तों एवं अन्य देय धनराशि का अप–टू–डेट भुगतान के साथ–साथ भवन, भूखण्ड की अनुमानित कीमत एवं लोकेशन चार्ज का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड, पानी–सीवर संयोजन शुल्क, दस्तावेज शुल्क आदि जमा करना होगा तथा नियमानुसार देय निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर एवम् आवश्यक विलेखों के निष्पादन के बाद कब्जा दिया जायेगा। कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् आवंटी को समस्त करों का भुगतान स्वयं करना होगा। आवंटित स्थल पर विकास कार्य पूर्ण होने पर कब्जा दिया जायेगा। प्राधिकरण द्वारा कब्जा हस्तान्तरण हेतु सूचित किये जाने के उपरान्त आवंटी द्वारा कब्जा न लिया जाने पर विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति की देखभाल एवम् रख रखाव हेतु निर्धारित चौकीदारी शुल्क नियमानुसार प्रति माह देय होगा।

10.20 आवंटी को समय –समय पर लागू होने वाले समस्त म्यूनिसिपल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय निकाय या शासन द्वारा नियम एवं उपनियम के अन्तर्गत लाये जाते है, का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय– समय पर करना होगा।

10.30 आवंटी विद्युत कनेक्शन व पानी का कनेक्शन सम्बन्धित विभागों से अपने खर्च पर लेगा।

10.40 यदि आवंटी द्वारा विलेख के निष्पादिन कराने के पश्चात् कब्जा नहीं लेता है तो आवंटी को नियमानुसार प्रति माह चौकीदारा शुल्क देना होगा।

11.00 निबन्धन प्रकिया–

आवंटी को गंगा नगर योजना के फ्लैटस् के निर्माण एवं उसके सम्मुख समुचित विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात नियमानुसार फ्लैट में निहित भूमि के मूल्य का 10 प्रतिशत लीजरेन्ट की धनराशि, फ्लैट मूल्य का पूर्ण भुगतान तथा पानी सीवर मद में देय धनराशि व देय दस्तावेजा शुल्क जमा कराते हुए नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर आवंटी के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्लैट में निहित भूमि का पट्टा विलेख तथा स्ट्रक्चर मूल्य का विक्रय विलेख निबन्धित किया जायेगा। विलेख एवं निबन्धन का समस्त व्यय आवेदनकर्ता (आवंटी) को वहन करना होगा।

12. समर्पण तथा निरस्तीकरण की दशा में धन की वापसी–

यदि कोई आवेदक अपनी जमा धनराशि वापस प्राप्त करना चाहे तो निम्नानुसार रिफण्ड प्रकरण निस्तारित किया जायेगा:–

(अ) लाटरी आवंटन होने से पूर्व जमा धनराशि की मूल रसीद पंजीकरण तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करने पर बिना कटौती, बिना ब्याज और प्राधिकरण खाते में एक वर्ष से अधिक जमा रहने के उपरान्त 4 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।

(ब) आवंटन पत्र निर्गत होने अथवा लाटरी सम्पन्न होने के बाद जमा पंजीकरण / आवेदन धनराशि की मूल रसीद प्रस्तुत करने पर किन्तु अगली 10 प्रतिशत धनराशि जमा होने से पूर्व, प्रथम जमा पंजीकरण / आवेदन धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करके, बिना ब्याज के शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

(स) आवंटन धनराशि जमा होने के बाद किन्तु कब्जा प्राप्त करने से पूर्व, कुल जमा धनराशि का 15 प्रतिशत कटौती करके, बिना ब्याज के शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

(द) आवंटन के पश्चात् यदि फ्लैट का कब्जा हस्तगत हो गया है तो कुल जमा धनराशि का 15 प्रतिशत कटौती के साथ–साथ फ्लैट के रिफण्ड प्रार्थना पत्र एवम् निरस्तीकरण आदेशों के जो भी तिथि पहली होगी तक देय किश्तों में से टूटती किश्तों में सम्मिलित ब्याज की धनराशि की कटौती उपरान्त यदि कोई धनराशि आवेदनकर्ता को दिये जाने हेतु शेष बचती है तो बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

13. निरस्तीकरण उपरान्त बहाली प्रक्रिया–

सम्पत्ति के निरस्तीकरण उपरान्त यदि आवेदक सम्पत्ति का आवंटन पुनर्जीवित (बहाली) निरस्तीकरण दिनांक से एक माह के अन्दर कराना चाहे तो सम्पत्ति के आवंटन की बहाली के समय योजना में लागू वर्तमान मूल्य पर फ्लैट बहाल किया जा सकेगा।

14.00 मिथ्या आवेदन अथवा तथ्यों का छुपाना–

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनायें दी गयी हैं और उसने किसी वास्तविक तथ्य को छुपाया है तो पंजीकरण के साथ–साथ फ्लैट का आवंटन आवेदक को बिना बताये निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे भविष्य में होने वाले ड्रा से वंचित कर दिया जायेगा एवं पंजीकरण धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

मेरठ विकास प्राधिकरण

सिविल लाइन्स, विकास भवन, मेरठ-25000 (उत्तर प्रदेश)

15.00 अन्य सूचनायें / शर्तें–

15.10 आवेदक को विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होंगी एवम् भविष्य में अनुपालन करना होगा तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों / आदेशों का अनुपालन करना होगा।

15.20 यदि प्राधिकरण की योजना की अर्जित भूमि पर भविष्य में सक्षम न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम–1894 (यथा संशोधित) की धारा–18 व अन्य धाराओं में प्रतिकर की धनराशि बढ़ायी जाती है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिकर राशि उपरोक्तानुसार बढ़ाने के पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम–1894 (यथा संशोधित) की धारा–28 ए के तहत कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित अधिसूचना से सम्बद्ध अन्य कृषकों की भूमि दर बढ़ाये जाने की स्थिति में योजना के आवंटित फ्लैटस् में निहित भूमि का मूल्य बढ़ता है तो वह आवंटी द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में आवंटी से वसूल की जायगी। अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।

15.30 यदि किसी समय यह पाया गया कि आवेदक ने गलत सूचनायें देकर अथवा तथ्यों को छिपाकर आवेदन किया है अथवा आवंटन कब्जा प्राप्त कर लिया है या अन्य कोई सुविधा प्राप्त कर ली है तो आवेदक द्वारा जमा की गयी आवेदन / आवंटन धनराशि को शत–प्रतिशत जब्त करते हुए करते हुए सम्पत्ति के मूल्य के विपरीत जमा की गयी अन्य जमा धनराशि में से 15 प्रतिशत की कटौती कर ली जायेगी तथा शेष धनराशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

15.40 आवेदन उपरान्त पते में परिवर्तन की दशा में आवेदन पत्र की संख्या सहित एतद्विषयक सूचना आवेदक द्वारा सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण को देनी होगी। मूल आवेदन में पता गलत / अपूर्ण अंकित होने अथवा संशोधन समय से सूचित न करने की दशा में प्राधिकरण द्वारा किये पत्राचार की जानकारी आवेदक / आवंटी को होने वाली क्षति के लिये प्राधिकरण उत्तरदायी नही होगा।

15.50 तालिका में उल्लिखित सम्पत्ति के पंजीकरण के सापेक्ष प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के हितबद्ध आवेदक कृपया नियत लाटरी ड्रा तिथि को अपनी जमा पंजीकरण / आवेदन धनराशि की मूल रसीद लेकर ही लाटरी ड्रा में शामिल होने हेतु उपस्थित होवे अन्यथा ऐसे आवेदकों, जिनके पास, जमा धनराशि की मूल रसीद उपलब्ध नहीं होगी, उन्हें लाटरी ड्रा में शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

15.60 आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

15.70 आवेदन प्रक्रिया, आवंटन, धन वापसी आदि किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इस पुस्तिका में उल्लिखित शर्तों में अथवा अन्य किसी स्थान पर एतद् विषयक वर्णित किसी भी शर्त / नियम को शिथिल / संशोधित करने का अधिकार होगा जो कि आवेदक / आवंटी को मान्य होगा।

15.80 इस योजनाओं में सम्पत्ति की दी गयी कीमत, क्षेत्रफल व उनकी संख्या अनुमानित है जो घट / बढ़ सकती है। यदि आवंटित भवन / भूखण्ड का क्षेत्रफल, निर्धारित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी और कार्नर भवन / भूखण्डो पर सम्पत्ति में निहित भूमि मूल्य / भूखण्ड के मूल्य का चार्जेज 10 पृथक से देय होगी। किसी भवन / भूखण्ड के साथ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होने पर प्रचलित नियमों के अनुसार मूल्य पृथक से देय होगा।

16.00 इस योजना के अन्तर्गत यदि किसी विवाद पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो वह आवंटी को मान्य होगा।

16.10 सर्विस टैक्स अदा करने का दायित्व आवंटी का होगा।

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

गंगानगर पॉकेट जे में निर्माणाधीन अल्प आय वर्ग श्रेणी के 4 मंजिला फ्लैट्स् **तथा**
डा0 राम मनोहर लोहियानगर योजना के दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भूखण्ड

पंजीकरण दिनांक 18-8-2015 से 18-9-2015 तक, पंजीकरण हेतु विवरण तालिका

श्रेणी	फ्लैट्स की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (व0मी0 में)	अनुमानित मूल्य (रूपये में)	पंजीकरण धनराशि 10% (रूपये में)	आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिये पंजीकरण धनराशि 5% (रूपयें में)	शेष देय धनराशि की किश्तों का विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
गंगा नगर आवासीय योजना पॉकेट जे-4 मंजिला फ्लैट्स्						
अल्प आय वर्ग फ्लैट पॉकेट जे	12	39.75	11.06	1.11	0.56	10 वर्ष की 20 छमाई समान किश्तों में 14 प्रतिशत ब्याज सहित, विलम्ब अवधि का 18 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज
डा0 राम मनोहर लोहियानगर योजना के भूखण्ड दर रूपये 10,600/- प्रति वर्ग मीटर						
दुर्बल आय वर्ग पॉकेट एम व पॉकेट के	35	36	3.82	0.39	0.20	4 वर्ष की 8 छमाई समान किश्तों में 12 प्रतिशत ब्याज सहित, विलम्ब अवधि का 16 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज

1. विज्ञापित सम्पत्तियों के आवेदकों को आवंटन पत्र जारी करने के दिनांक से 1 माह की अवधि के अन्दर सम्पत्ति की कीमत का 10 प्रतिशत आवंटन धनराशि जमा करनी होगी। उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी प्रविष्टियाँ अनुमानित आधार पर है, जो परिवर्तनीय है। सम्पत्ति की संख्या एवं क्षेत्रफल व कीमत में परिवर्तन हो सकता है।
2. तालिका में उल्लिखित पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो कि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में देय हो, अपने पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा। देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने की दशा में धनराशि के प्राधिकरण के खाते में अन्तरण की तिथि को ही आधार माना जायेगा।
3. दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भवन/भूखण्ड के आवंटन हेतु इच्छुक आवेदकों (जिनके नाम से आवेदन किया जा रहा है।) के परिवार की वार्षिक आय सीमा 1,00,000/- (एक लाख रूपये मात्र) तथा अल्प वर्ग श्रेणी के भवन/भूखण्ड के आवंटन हेतु (जिनके नाम से आवेदन किया जा रहा है।) के परिवार की वार्षिक आय सीमा 1,00,000/- (एक लाख मात्र) से अधिक तथा अधिकतम 2,00,000/- (दो लाख) तक होनी चाहिये, का सक्षम अधिकारी (तहसील) द्वारा जारी आय का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा जिन आवेदकों द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जायेगा उनका पंजीकरण आवेदन पत्र लाटरी ड्रा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
4. यदि आवंटित फ्लैट में निहित भूमि का क्षेत्रफल, उपरोक्त स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी और कार्नर फ्लैटस पर सम्पत्ति में निहित भूमि मूल्य/भूखण्ड के मूल्य का चार्जेज 10 प्रतिशत पृथक से देय होंगे। किसी फ्लैट के साथ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होने पर प्रचलित नियमों के अनुसार मूल्य पृथक से देय होगा।
5. आवेदक, जिस आरक्षण श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करेगा, उसके प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार दुर्बल आय वर्ग के भवनों भूखण्डों के आवेदकों को निर्धारित आय का प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संलग्न करना अनिवार्य होगा। विस्तृत जानकारी योजनाधिकारी से प्राप्त का जा सकती है।

मेरठ विकास प्राधिकरण

सिविल लाइन्स, विकास भवन, मेरठ-25000 (उत्तर प्रदेश)

(आवेदक द्वारा यह शपथ पत्र रूपये 10/– के जनरल स्टाम्प पर टंकित कराकर नोटरी से प्रमाणित कराकर अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है।)

नोटरी द्वारा
सत्यापित
पासपोर्ट साईज
फोटो

शपथ पत्र

समक्षः– उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

यह कि मेरा नाम ____________ पुत्र/पुत्री/ ____________ है तथा ____________ का निवासी हूँ तथा

मेरी आयु लगभग ____________ वर्ष है। मैं शपथ पूर्वक निम्न शपथ लेता हूँ:–

1 यह कि मैंने मेरठ विकास प्राधिकरण की सम्पत्ति आवंटन सम्बन्धी नियमों, दशाओं एवम् विशेष सूचनाओं को स्पष्टतः समझ लिया है तथा मैं इनके पालन का वचन देता हूँ।

2 यह कि मैंने अथवा मेरे पति/पत्नी, अवयस्क बच्चों एवम् मुझ पर आश्रित सम्बन्धी ने पूर्व में मेरठ विकास प्राधिकरण की किसी योजना के अन्तर्गत पंजीकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र नहीं किया है और यदि पूर्व में पंजीकरण/आवेदन कराया है तो इस योजना के अन्तर्गत आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद पूर्व पंजीकरण/आवेदन के निरस्त होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3 यह कि आवेदक या उसके परिवार (पति, पत्नी एवम् अवयस्क बच्चों के पास) के पास मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ, आवास एवम् विकास परिषद, मेरठ, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना अन्य भवन/भूखण्ड नहीं है तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं है तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण, आवास एवम् विकास परिषद, इम्प्रूमेन्ट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं है। यदि इस तथ्य में आवेदन करते समय अथवा आवेदित सम्पत्ति के आवंटन उपरान्त असत्यता पायी जाती है तो पंजीकरण/आवेदन के निरस्त होने अथवा आवंटित सम्पत्ति का आवंटन निरस्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

4 यह कि यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मैंने स्वयं के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण प्राधिकरण को दिये है तो प्राधिकरण को मेरे विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का अधिकार होगा जो मेरठ विकास प्राधिकरण उचित समझे।

____

हस्ताक्षर शपथकर्ता।

यह कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र की धारा 1 से 4 तक लिया गया कथन मेरे निजी ज्ञान में सत्य है कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक : ________

प्रमाणित स्थान– ________

____

हस्ताक्षर शपथकर्ता।

गंगानगर पॉकेट जे में निर्माणाधीन अल्प आय वर्ग श्रेणी के 4 मंजिला फ्लैट्स **तथा**
डा0 राम मनोहर लोहियानगर योजना के दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भूखण्ड

आवेदन पत्र भरने के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्त

1. आवेदन पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर होंगे।
2. आवेदक (?) द्वारा आवेदन पत्र में कोड आदि भरने के लिए भारतीय संख्याओं के अन्तर्राष्ट्रीय अंको का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। केवल इस प्रकार भरे हुए कोड न0 को ही अभिलेखों में लिया जायेगा।
3. इन आवेदन पत्रों को एक कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जायेगा। अतः इन फार्मो को केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही भरा जाना चाहिए। तथापि उस पर हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
4. अधूरे / अवैध / अपठनीय आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया जायेगा। इस सम्बंध में कोई भी पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
5. आवंटी द्वारा भविष्य में किये जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र संख्या, योजना कोड एवं सम्पत्ति कोड अवश्य लिखना चाहिए। जब तक आवेदक को सम्पत्ति कोड नहीं मिलता है फार्म की क्रम संख्या लिखी जा सकती है।

6.00 डाक पते में हुए किसी भी परिवर्तन की सूचना मेरठ विकास प्राधिकरण को तत्काल दी जानी चाहिए।

7.00 आवेदन पत्र भरने के लिए मदवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

7.01 **मद–2 : योजना का नाम** : कृपया योजना का नाम तथा कोड भरें।

7.02 **सम्पत्ति श्रेणी** : कृपया सम्पत्ति श्रेणी तथा कोड भरें एवं क्षेत्रफल भरें।

7.30 **सम्पत्ति विवरण** : कृपया सम्पत्ति विवरण तथा कोड भरें।

7.40 **भुगतान योजना** : कृपया योजना तथा कोड भरें।

7.50 **सैलुशन** : कृपया सैलुशन तथा कोड भरें।

7.60 **नाम, पता एवं पिनकोड** : ये स्वयं सुस्पष्ट हैं।

7.05 **आयु** : इस मद में आयु वर्षों में लिखें उदाहरणार्थ 32 वर्ष। (किसी एक वर्ष का कोई अंश न लिखा जाए)

7.06 **लिंग** : इस मद में कोड तालिका से देखकर कोड भरें।

7.07 **वैवाहिक स्थिति** : इस मद में नीचे दिये गये अक्षरों में से कोई एक जो आप पर लागू हो कोड तालिका से देखकर ध्यानपूर्वक भरें।

7.08 **कोटा कोड** : जैसा कि अनुच्छेद 7.00 में विवरण दिया गया है जिसके अनुसार
आवेदकों को आरक्षण सुविधा दी गई है। कृपया अपनी आरक्षित श्रेणी का कोटा कोड नम्बर लिखें। यदि आप एक से अधिक आरक्षित वर्ग में आते हों तो केवल वही कोड लिखें जिसमें आप रहना चाहते हैं। जैसा कि नीचे दिया गया है, कोटा के विरूद्ध आवेदन करने हेतु समुचित प्रमाण पत्र संलग्न करें। अन्यथा आपका आवेदन पत्र सामान्य श्रेणी में समझा जायेगा। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कोड के स्थान पर 15 कोड भरना चाहिए।
ख) आरक्षण श्रेणी के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

7.09 **व्यवसाय कोड** : यह कोड तालिका से भरें।

7.10 **भुगतान योजना कोड** : भुगतान योजना कोड में किश्तों में भुगतान हेतु कोड भरें।

7.11 **आय कोड** : आवेदन हेतु कोई आय सीमा नहीं है।

8.00 **आवेदक के हस्ताक्षर** : ये स्वयं सुस्पष्ट हैं। बिना हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

9.00 योजना की अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र में पता परिवर्तन के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट : सभी प्रकार के कोड, कोड तालिका से ध्यानपूर्वक देखकर भरें। कृपया आवेदन फार्म में सम्पत्ति कोड स्पष्ट अंकों में भरें।

कोड तालिका

योजना कोड 07 गंगानगर योजना 08 डा0 राम मनोहर लोहियानगर	**सम्पत्ति विवरण** 12 फ्लैट 01 भवन 02 भूखण्ड	**भुगतान कोड** 01 किश्तों में 02 नगद
वैवाहिक स्तर 01 वैवाहिक 02 अविवाहित 03 विधवा 04 अन्य	**सम्पत्ति श्रेणी कोड** 05 अल्प आय वर्ग 07 दुर्बल आय वर्ग	**सैलुएशन कोड** 01 श्री 02 श्रीमती 03 कुमारी 04 संयुक्त **पिता/पति कोड** 01 पिता 02 पति
व्यवसाय कोड 01 वकील 02 व्यवसायिक 03 डॉक्टर 04 इन्जीनियर 05 किसान	06 सरकारी कर्मचारी 07 गृहणी 08 अर्ध सरकारी कर्मचारी 09 विद्यार्थी 10 अन्य	**लिंग कोड** 01 पुरुष 02 स्त्री

विवरण पुस्तिका का मूल्य रु. 200/- मात्र

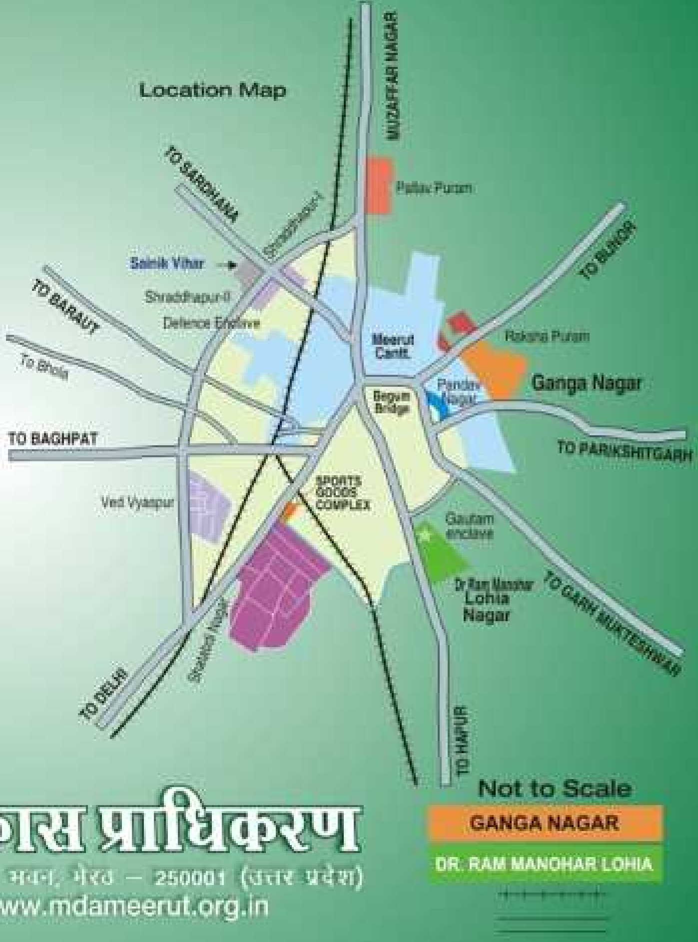

मेरठ विकास प्राधिकरण

सिविल लाइन्स, विकास भवन, मेरठ – 250001 (उत्तर प्रदेश)

वेबसाइट : www.mdameerut.org.in

घोषणा
DECLARATION

1. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करतें हैं कि मैने/हमने मेरठ विकास प्राधिकरण की उपर्युक्त योजना से सम्बन्धित नियमों को पढ़ लिया है एवं मैं/हम उनका पालन करूंगा/करेंगें।
2. यदि मैं/हम बिक्री के लिए फ्लैट /भूखण्ड का आवंटन स्वीकार नहीं करता हूँ/करतें हैं तब मैं/हम मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा नियमों के अधीन की गई कटौतियों को स्वीकार करूंगा/करेंगे।
3. मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किया गया फ्लैट/भूखण्ड मुझे/हमें प्रत्येक परिस्थितियों में स्वीकार होगा मुझे/हमें किसी भी प्रकार की आपत्ति/विवाद नहीं होगा।
4. मैं सहमत हूँ कि मेरठ विकास प्राधिकरण एवं आवेदक के मध्य किसी प्रकार के विवाद को निपटाने का क्षेत्राधिकार मेरठ न्यायालय का होगा एवं अन्य किसी भी न्यायालय का क्षेत्राधिकार मेरठ विकास प्राधिकरण एवं आवेदक के इकरारनामे के अनुसार मान्य नहीं होगा।

1. I/We declare that I/We have read the rules of the Meerut Development Authority, Meerut regarding the above scheme and shall abide by them.
2. If I/We do not accept the allotment of the flat/plot for sale, then I/We shall accept the forfeiture/deductions made by M.D.A. under the rules.
3. The flat/plot allotted to me by M.D.A. shall be acceptable to me/us under any circumstances on "as is where is basis" and I/We shall have no objection or dispute of any kind.
4. I/We agree that in case of dispute if any between M.D.A. and the applicant, the Meerut Court will have exclusive jurisdiction and the jurisdiction of all other courts will be debarred by the contract with M.D. A.

Date :

Place : आवेदक के हस्ताक्षर / Signature of the applicant

नमूना हस्ताक्षर
SPECIMEN SIGNATURE(S)

Name नाम ____________________

Sole or First Applicant
(एकल अथवा प्रथम आवेदक)

Signature 1.____________________ 2.____________________
हस्ताक्षर

For Office Use Only
RESERVATION

Applicant successful in draw held on ____________________

One plot reserved Signature of the Incharge

Allottee Code : | | | | | | | | | | | |

ALLOTMENT

Applicant has been allotted plot No. ____________________

Property Code : | | | | | | | | | | | |

नोट : 1. कृपया आवेदन पत्र अंग्रेजी में ही भरें, चूंकि ये फार्म कम्प्यूटर द्वारा प्रोसेस किये जायेंगे। यदि आपने फार्म हिन्दी में भरा हो तो उसका अनुवाद करते समय हुई भूल के लिए मे. वि. प्रा. जिम्मेदार नहीं होगा।
2. कृपया चालान फार्म में ड्राफ्ट नं0 तथा बैंक का पूरा नाम अवश्य भरें।
3. आवेदन पत्र के साथ लगाये गये संलग्नकों को चिपकाने का कष्ट करें। इससे आपके संलग्नक फार्म से अलग नहीं होंगे।